

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु चैक लिस्ट

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, /आयुक्त नगर परिषद/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम.....

विषय :— नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम के खसरा नं.....
..... रक्बा का से प्रयोजनार्थ
भु-उपयोग परिवर्तन बाबत— आवेदक श्री.....

संदर्भ :- दिनांक.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उक्त प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया गया है। पत्र द्वारा प्रेषित सूचनाओं/दस्तावेजों की जांच की गई। जो कि निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वांछित सूचना	नगरीय निकाय की टिप्पणी
1.	संदर्भित पत्र के साथ उपलब्ध कराए गये सभी /आंशिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।	संलग्न है/ नहीं
2.	खसरा मानचित्र जिस पर आवेदित भूमि के खसरों को तरमीन सहित रंग से चारों तरफ के खसरों को दर्शाया गया हो कि एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियों की प्रति पटवारी द्वारा प्रमाणित।	संलग्न है/ नहीं
3.	भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया हेतु निर्धारित प्रपत्र-1 का विवरण।	पूर्ण/आंशिक पूर्ति। आंशिक पूर्ति होने के कारण
4.	आवेदक पत्र के साथ भूमि का साईट प्लान स्वामित्व के दस्तावेजों, प्रस्तावित भूमि जिस सड़क पर स्थित है तथा मुख्य सड़क की विद्यमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी तथा मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान/योजना मानचित्र में वर्तमान निर्माण की स्थिति एवं आवेदित भूमि के आस-पास के लगभग 100-100 मीटर चारों दिशाओं के फोटोग्राफ एवं पी.टी. सर्वे के प्रति सक्षम अधिकारी से प्रमाणित।	दस्तावेज संलग्न है/ नहीं एवं विवरण
5.	भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया हेतु निर्धारित	पूर्ण/आंशिक पूर्ति।

प्रपत्र-ब का विवरण ।	आंशिक पूर्ति होने के कारण
6. संबंधित वरिष्ठ/उप नगर नियोजक द्वारा भू-उपयोग के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा मय प्रमाणित प्रति ।	स्पष्ट अनुशंसा का विवरण मय राय की प्रमाणित प्रति
7. संबंधित सचिव व वरिष्ठ/उप नगर नियोजक द्वारा भू-उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू-उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य, आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के पश्चात शेष उपलब्ध भूमि की उपयोगिता का विवरण ।	विवरण मय प्रमाणित प्रति.....
8. संबंधित शहर/कस्बे के भू-उपयोग मानचित्र के संबंध में सूचना अपेक्षित है, यथा—प्रारूप अथवा राज्य सरकार से अनुमोदित, लागू होने को वर्ष, क्षितिज आदि। अंकित करते हुए प्रमाणित प्रति ।	विवरण.....
9. आवेदित भूमि का अंकन भू-उपयोग मानचित्र की प्रति पर नगर नियोजन विभाग के सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति की प्रमाणित प्रति ।	संलग्न है/ नहीं
10. आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञप्ति दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की प्रमाणित प्रति ।	संलग्न है/ नहीं
11. जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आपत्तियों की सूचना। यदि निर्धारित समयावधि में/पश्चात प्राप्त हुए है, तो आपत्ति पर कार्यालय की बिन्दुवार राय/टिप्पणी की प्रमाणित प्रति ।	आपत्ति का एवं आपत्ति पर निर्णय का विवरण.....
12. आवेदित भूमि से लगते हुए जिन भूमियों की पूर्व में भू-उपयोग परिवर्तन हो चुका है, एवं आवेदित भूमि को मानचित्र पर दर्शाते हुए सक्षम स्तर से प्रमाणित प्रति ।	संलग्न है/ नहीं
13. आवेदित भूमि के आस—पास के क्षेत्र का विस्तृत नवीनतम सेटेलाईट/गूगल इमेज की रंगीन प्रति जिसमें आवेदित भूमि तथा वर्तमान में हो चुके निर्माण की स्थिति, पहुंच सड़क की विद्यमान चौड़ाई भौतिक स्थिति आदि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति ।	संलग्न है/ नहीं
14. आवेदित भूमि के सामने स्थित पहुंच मार्ग	विवरण.....

	की विद्यमान चौडाई, प्रस्तावित चौडाई व परिपत्र दिनांक 25.02.2009 के बिन्दु सं. 12 के क्रम में आवश्यक सड़क मार्गाधिकार के संबंध में जानकारी की प्रमाणित प्रति।
15.	आवेदित भूमि जिस सड़क पर स्थित है उसकी विद्यमान चौडाई यदि प्रस्तावित चौडाई से कम है तो मौके की स्थिति व स्वामित्व को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सड़क का प्रस्तावित मार्गाधिकार मुख्य सड़क से किस प्रकार से उपलब्ध होगा के संबंध में जानकारी की प्रमाणित प्रति।	विवरण.....
16.	मौके पर आवेदित भूमि को नियमानुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध ना होने की स्थिति में प्रस्तावित पहुंच मार्ग के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यथा प्रस्तावित सड़क का स्वामित्व, सड़क हेतु भूमि का मौके पर उपलब्धता आदि।	विवरण.....
17.	आवेदित भूमि राजमार्ग/राष्ट्रीय होने के कारण वृक्षारोपण पट्टी को निर्धारित होने की स्थिति में वृक्षारोपण पट्टी की चौडाई के संबंध में सूचना।	विवरण.....
18.	आवेदित भूमि जिस क्षेत्र में स्थित है यदि उस क्षेत्र का सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाया गया है, अथवा नहीं। सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने की स्थिति में आवेदित भूमि को सेक्टर रोड प्लान पर अंकन कर नगर नियोजन विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति। उक्त सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है अथवा नहीं बाबत सूचना की प्रमाणित प्रति।	विवरण.....
19.	उपलब्ध कराये गये खसरा मानचित्र के अनुसार पी.टी. सर्वे पर आवेदित भूमि में से एच.टी./एल.टी. लाईन की स्थिति। उक्त विद्युत लाईनों की क्षमता के संदर्भ में सूचना की प्रमाणित प्रति।	विद्युत लाईन की क्षमता का विवरण.....
20.	आवेदित खसरा भूमियों के मध्य/चारों दिशाओं में नदी/तालाब/नाला/नहर/खाला स्थित है। आवेदित भूमि के पानी के उच्च स्तर से प्रभावित है या नहीं संबंध में सिंचाई विभाग के अधीक्षण,	विवरण.....

	अभियन्ता या अन्य वरिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।	
21.	भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्गमीटर या अधिक होने के कारण विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) (जिसमें वित्तीय संसाधन का विवरण तथा प्रोजेक्ट की क्रियान्विति का टाईम शेड्यूल का उल्लेख हो) की विस्तृत रिपोर्ट परीक्षण उपरान्त टिप्पणी सहित रिपोर्ट।	संलग्न है/ नहीं
22.	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.2011, 16.04.2010 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार तकनीकी मापदण्ड पूर्ण है या नहीं, बाबत सूचना।	विवरण.....
23.	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.2011 के बिन्दु सं. 6 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन स्थानीय स्तर पर निषेध है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10 (35)नविवि / 3 / 10 दिनांक 07.05.2010 के तहत यदि व्यापक जनहित को देखते हुए उक्त प्रकरण आधारभूत योजनाओं की श्रेणी में आता है एवं राज्य में निवेश की संभावना होने की स्थिति में पालिका/न्यास/प्राधिकरण द्वारा विस्तृत जांच कर, औचित्यपूर्ण विस्तृत टिप्पणी मय अनुशंसा के साथ भिजवाया जाना।	विस्तृत टिप्पणी एवं अनुशंसा का विवरण.....
24.	स्थानीय स्तर की समिति द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति।	निर्णय का विवरण